रपीड पोस्ट से By SPEED POST

केन्द्रीय भण्डारण निगम
(भारत सरकार का उपक्रम)
Central Warehousing Corporation
(A Government of India Undertaking)

सं0: के.भ.नि/ बी.एण्ड सी /एजीएम./2019

दिनांक: 10 जून, 2019

सेवा में

अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक/सचिव,
केन्द्रीय भण्डारण निगम के सभी अंशधारी

प्रिय महोदय/महोदया,

केन्द्रीय भण्डारण निगम के अंशधारियों की वार्षिक साधारण बैठक माह सितम्बर, 2019 में आयोजित की जाएगी। आपका ध्यान वेअरहाउसिंग कारपोरेशन्स अधिनियम, 1962 की धारा 13 एवं केन्द्रीय भण्डारण निगम (सामान्य) विनियम, 1965 के विनियम 21(1) की ओर आकर्षित किया जाता है जिसमें निम्नलिखित प्रावधान हैं :

"वेअरहाउसिंग कारपोरेशन्स अधिनियम, 1962 की धारा 13:

(1) केन्द्रीय भण्डारण निगम की वार्षिक साधारण बैठक (जिसे आगे वार्षिक साधारण बैठक कहा गया है) प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 6 माह के अन्दर इसके मुख्यालय अथवा निगम के किसी अन्य कार्यालय में होगी और अन्य कोई साधारण बैठक निदेशक मण्डल द्वारा किसी अन्य समय पर बुलाई जा सकेगी ।

(2) वार्षिक साधारण बैठक में उपस्थित अंशधारियों को रिपोर्ट वर्ष में वार्षिक लेखों, निगम की कार्यप्रणाली पर निदेशक मण्डल की रिपोर्ट तथा वार्षिक तुलन–पत्र और लेखों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार–विमर्श करने का अधिकार होगा ।"

"विनियम 21 : वार्षिक साधारण बैठक के कार्य:

(1) वार्षिक साधारण बैठक में निम्नलिखित कार्य किये जायेंगे, अर्थात् :–

(क) धारा 13 की उपधारा (2) में निर्धारित कार्य।
(ख) निदेशकों का निर्वाचन, यदि कोई हो।
(ग) ऐसे अन्य कार्य जिसके लिए ऐसी बैठक में वोट देने के पात्र कम से कम दस अंशधारियों द्वारा निश्चित प्रस्ताव के रूप में कम से कम पांच सप्ताह पूर्व सूचना दी गई हो ।"

उपरोक्त के अनुसार अंशधारियों से अनुरोध है कि उपर्युक्त बैठक में यदि कोई प्रस्ताव रखना चाहते हैं तो ऐसी बैठक में वोट देने के पात्र कम से कम दस अंशधारियों द्वारा निश्चित प्रस्ताव के रूप में कृपया अधोहस्ताक्षरी को 22.07.2019 या उससे पूर्व भेज दें ।

भवदीय,

(अमित पुरी)
सचिव

निगमित कार्यालय 4/1, सीरी इंस्टीच्यूशनल एरिया, अगस्त क्राति मार्ग, हौज खास, नई दिल्ली – 110016
- Corporate Office: 4/1, Siri Institutional Area, August Kranti Marg, Hauz Khas, New Delhi-110016
दूरभाष Telephone : 26966268 और and 26566107 फैक्स 91-11-26518013

स्पीड पोस्ट से **By SPEED POST**

केन्द्रीय भण्डारण निगम
(भारत सरकार का उपक्रम)
Central Warehousing Corporation
(A Government of India Undertaking)

No. CWC/B&C/AGM/2018

Dated: 10th June, 2019

To,

The Chairman/Managing Director/Secretary,
All Shareholders of the Central Warehousing Corporation.

Dear Sir/Madam,

The Annual General Meeting (AGM) of Central Warehousing Corporation will be held during the month of September, 2019.

Your attention is invited to Section 13 of the Warehousing Corporations Act, 1962 and Regulation 21(1) of the Central Warehousing Corporation (General) Regulations, 1965 which provide as under:-

"Section 13 of the Warehousing Corporations Act, 1962:

(1) The Annual General Meeting of the Central Warehousing Corporation (hereinafter referred to as the Annual General Meeting) shall be held every year either at its Head-Office or at any other office of the Corporation within six months of the close of the financial year, and any other general meeting may be convened by the Board of Directors at any other time.

(2) The shareholders present at the Annual General Meeting shall be entitled to discuss the annual accounts, the report of the board of directors on the working of the Corporation during the year under report, as well as the auditor's report on the annual balance-sheet and accounts."

"Regulation 21: Business at Annual General Meeting:

(1) At the Annual General Meeting the following business may be transacted namely:-
- (a) Business specified in sub section (2) of Section 13.
- (b) The election, if any, of directors.
- (c) Such other business of which not less than five weeks' notice is given in the form of a definite resolution by not less than ten shareholders qualified to vote at such meeting."

In accordance with the above, the Shareholders are requested to send resolution, if any, proposed to be moved at the AGM to be held in the form of definite resolution proposed by not less than 10(ten) shareholders qualified to vote at such meeting to the undersigned on or before 22.07.2019.

Yours truly,

(Amit Puri)
Secretary

निगमित कार्यालय 4/1, सीरी इंस्टीच्यूशनल एरिया, अगस्त क्राति मार्ग, हौज खास, नई दिल्ली – 110016
Corporate Office: 4/1, Siri Institutional Area, August Kranti Marg, Hauz Khas, New Delhi-110016
दूरभाष Telephone : 26966268 और and 26566107 फैक्स 91-11-26518013